फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री अजय चौधरी (एडवोकेट) पिता श्री रामपाल चौधरी निवासी A–77 नई आबादी, शहीद भगत सिंह मार्ग, कांकरोली, जिला राजसमन्द **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 110 / 2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 15.12.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :– एफ.1( )सू0अ0,05 / 2025 / 998 दिनांक 02.12.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी / अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 15.10.2025 का सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय को 17.10.2025 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी अपीलार्थी के आवेदन में ईप्सित सूचना का अवलोकन किया गया जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.10.2025 के आवेदन से वही सूचना पुनः चाही गई थी, जो अपीलार्थी ने पूर्व में आवेदन दिनांक 17.09.2025 के द्वारा मांगी थी, इस संबंध में अपीलार्थी को पूर्व आवेदन पर इस कार्यालय के पत्रांक 867 दिनांक 13.10.2025 के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित शुल्क राशि जमा कराने बाबत पत्र प्रेषित किया गया था, किन्तु आज दिनांक तक अपीलार्थी द्वारा कोई शुल्क राशि जमा नहीं करवाई गई। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.10.2025 के आवेदन के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 890 दिनांक 24.10.2025 से शुल्क राशि जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया किन्तु अपीलार्थी द्वारा आज दिनांक तक कोई शुल्क राशि जमा नहीं करवाई गई, जिसके अभाव में सूचना इस कार्यालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। अतः प्रार्थी के आरटीआई आवेदन में ईप्सित सूचना के संबंध में प्रार्थी को निश्चिम समयावधि इस कार्यालय के पत्रांक 891 दिनांक 24.10.2025 से अवगत कराया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द

सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी द्वारा पूर्व में भी आवेदन दिनांक 17.09.2025 के द्वारा यही सूचना चाही गई थी जिसके संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को जरिये पत्र क्रमांक 867 दिनांक 13.10.2025 से सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित शुल्क राशि जमा कराने बाबत पत्र प्रेषित किया गया था, किन्तु अपीलार्थी द्वारा आज दिनांक तक कोई शुल्क राशि जमा नहीं करवाई गई। एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस कार्यालय द्वारा इस आवेदन के संबंध में भी जरिये पत्र क्रमांक 890 दिनांक 24.10.2025 से भी अपीलार्थी को निश्चित समयावधि में वांछित सूचना बाबत शुल्क जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया किन्तु अपीलार्थी द्वारा आज दिनांक तक कोई शुल्क जमा नहीं करवाया गया।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती हैं तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना के संबंध में नियमानुसार शुल्क राशि जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त करे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)